न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः रतन लाल योगी, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 – 190/2017

प्रविष्टि दिनांक – 5.9.2017

निर्णय दिनांक – 27.1.2020

उनवान

1. कमलेश पुत्री उर्मिला, जाति जाट निवासी ग्राम अरनियानील, तहसील व जिला टोंक
2. सीमा पुत्री उर्मिला, जाति जाट निवासी ग्राम अरनियानील, तहसील व जिला टोंक
3. सन्तोष पुत्री उर्मिला, जाति जाट निवासी ग्राम अरनियानील, तहसील व जिला टोंक
4. सावित्री पुत्री उर्मिला, जाति जाट निवासी ग्राम अरनियानील, तहसील व जिला टोंक
5. सोना पुत्री उर्मिला नाबालिग उम्र 17 साल जरिये प्राकृतिक सरंक्षक पिता कैलाश पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी अरनियानील तहसील व जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र केसरा जाति जाट निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
2. सीता पुत्री केसरा जाति जाट निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
3. सम्पत पुत्री केसरा जाति जाट निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
4. आशा पुत्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
5. तहसीलदार टोंक
6. उप पंजीयक टोंक

प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री पी0के0 जैन–अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री शिवजीलाल चौधरी–अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

निर्णय

दावा बाबत–घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण सं0 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.न. 184, 228, 246, 285, 297, 332, 944, 950, 951, 1014 किता–10 कुल रकबा 42 बीघा 5 बिस्वा सम्पूर्ण ग्राम निमोला तहसील टोंक तथा ग्राम निमोला तहसील टोंक के ख. न. 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 368, 369, 375, 376, 377, 379, 380, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 401, 406, 409, 410, 506, 507, 508, 370, कुल किता–34 कुल रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा मे हिस्सा 1/11 प्रार्थीगण का है शेष हिस्सा अन्य लोगो का है जिसका कोई विवाद नही है। उक्त आराजी पूर्व में प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 एवं प्रार्थीगण की माता स्वर्गीय उर्मिला पुत्री केसरा के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। उर्मिला का देहान्त हो चुका है जिसके स्थान पर उसके हिस्से की खातेदारी की भूमि को प्रार्थीगण जो उसके वारिसान पुत्रिया हैं , के नाम अंकित करनी चाहिए थी। परन्तु बिना किसी अधिकार के नामान्तरकरण सं0 864 दिनांक 20.9.2006 ग्राम पंचायत लाम्बा से मिली भगत करके प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 ने चुपचाप अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करा लिया जबकि प्रतिपक्षीगण सं0 1 ता 3 को उर्मिला के वारिसान का अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण उर्मिला के स्थान पर उसके नाम दर्ज भूमि के वास्तविक खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उक्त भरा गया नामान्तरकरण अवैध है। ग्राम पंचायत ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के हितो के विरूद्ध नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। प्रतिपक्षी सं0 1 ता 3 व उर्मिला स्वर्गीय केसरा के वारिसान का है। केसरा का सजरा निम्न प्रकार है:–

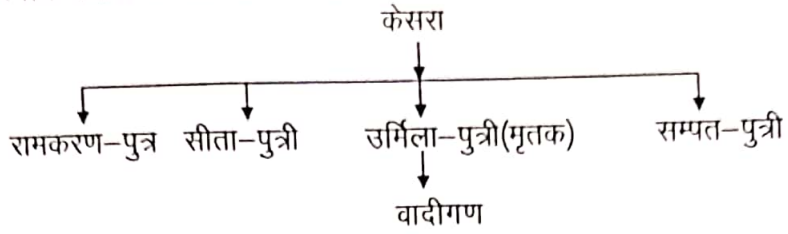

उक्त शजरे के अनुसार केसरा के एक पुत्र व तीन पुत्रिया थी जिनका सभी का हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड मे अंकन था। उर्मिला का देहान्त के बाद उसका हिस्सा उसके वारिसान मे निहीत है परन्तु नाजायज रूप से प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 ने अपने नाम करा लिया। जबकि उर्मिला के स्थान पर प्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीगण उर्मिला के स्थान पर खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिपक्षी सं0 1 ने जमाबंदी मे अंकन का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 का हिस्साा जरिये त्याग पत्र अपने नाम करा लिया। जबकि उन्हे किसी प्रकार त्याग पत्र करने का अधिकार नही है। इस प्रकार त्यागपत्र का तस्दीक नामान्तरकरण सं0 891 भी गैर कानूनी है। प्रतिपक्षी सं0 1 ने अवैध तरीके से भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर ख.न. 228, 246, 285, 297, 337 किता–5 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा नुमाईशी दानपत्र बिना किसी अधिकार के व बिना कब्जे के चुपचाप अपनी पुत्री प्रतिपक्षी सं0 4 के पक्ष मे करवाया है और उसका नामान्तरकरण 926 तस्दीक किया गया है जो प्रारम्भतः शून्य है। ऐसे अंतरण से प्रतिपक्षी सं0 4 को कोई भी अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रतिपक्षी सं0 1 व प्रतिपक्षी सं0 2 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन दान बेचान , प्रार्थीगण को बेदखल करने व अनावश्यक विवाद करने पर आमादा है। इस कारण उनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं या अन्य किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि को उनके हिस्से व कब्जेकाश्त मे हस्तक्षेप नही करे। भूमि का रहन, दान, बेचान आदि नही करे

इसके पश्चात प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार नही है। प्रार्थनापत्र अंकित शजरा स्वीकार है शेष इबारत स्वीकार नही है। प्रतिपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिपक्षी सं0 1 व प्रतिपक्षी सं0 4 का ही वास्तविक रूप से कब्जाकाश्त है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि से काई वास्ता नही है। प्रार्थीगण उर्मिला पुत्री केसरा जो ब्याहता पुत्री थी और जिसका विवाह काफी वर्षो पूर्व अरनियानील मे हुआ था और वही निवास कर रही थी। उर्मिला का देहान्त 2006 मे हो चुका है। प्रार्थीगण 1 ता 3 एवं स्व0 उर्मिला के पिता केसरा पुत्र श्रवण का देहान्त वर्ष 1992 मे हो चुका है। ऐसी स्थिति मे उसके पश्चात भरा गया विरासत का नामान्तरकरण मे पुत्र रामकरण प्रतिपक्षी सं0 1 के अलावा उर्मिला, सीता व सम्पत के नाम गलत रूप से अंकित कर दिये गये जबकि सन 2005 से पूर्व पिता की मृत्यु होने पर कानूनन पुत्रियो को अचल सम्पत्ति मे किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नही है। कानूनन जो अधिकार प्रदान किये गये है वह अधिकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मे सन 2006 से लागू है। ऐसी स्थिति मे विवादित भूमि मे प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नही है। उर्मिला का अपने पिता की भूमि बाबत भरा गया नामान्तरकरण सं0 864 ग्राम पचांयत द्वारा सही रूप से स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार सीता व सम्पत पुत्रिया केसरा का नाम भी गलत अंकित हो जाने के कारण उनके द्वारा प्रतिपक्षी सं0 1 के हक मे हकत्याग कर दिया गया । दान पत्र दिनांक 4.6.2007 ख.न. 285 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा ग्राम निमोला मे से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि बहक अम्बे पार्वती जी अर्धागिनी श्री महादेव शंकर भगवान बिराजमान कोठयारी जाट मोहल्ला निमोला एवं आशा पुत्री रामकरण जाति जाट के हक मे ख.नत्र 228, 246, 285, 297, 332 दान पत्र करवाया गया है और दानग्रहिता अपने अपने हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नही है। प्रार्थीगण उसके वारिसान है जो भी शादी शुदा है अपने अपने

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned by CamScanner

ससुराल मे रहती है। ग्राम निमोला की आराजी से उनका कोई वास्ता नही है और ना ही कब्जा है। प्रार्थनापत्र मे चाहा गया अनुतोष गलत है प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नामान्तरकरण सं0 864, 891, 926, जमाबंदी संवत 2063–2066, संवत 2051–54,2047–2050, 2071–2074, खसरा गिरदावरी संवत 2074, आदि प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में अधिवक्ता द्वारा निम्न नजीरे प्रस्तुत की गई।

RBJ (23)2016 page no 142144,468-474
RBJ (20)2013 page no 275-280, 216-222
RBJ (22)2015 page no 299-302, 544-549
RRD -14-5-2018 page no 328-331
RRT-2016(1) page no 29-42

हमने प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण के नाम खातेदारी की घोषणा एवं हक अधिकार संबंधी तथ्य, साक्ष्य दस्तावेजो से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। प्रार्थीगण , उर्मिला पुत्री केसरा के वारिसान है यह तथ्य नामान्तरकरण सं0 864 व केसरा के पारिवारिक शजरे से साबित है। साथ ही प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब मे भी शजरे को स्वीकार किया गया है और उर्मिला को केसरा का वारिस तथा प्रार्थीगण को उर्मिला का वारिस स्वीकार किया गया है। हमने उर्मिला की मृत्यु उपरान्त भरा गया नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया जिसमे पटवारी द्वारा उर्मिला के स्थान पर कॉलम सं0 9 मे उर्मिला के वारीसान के नाम अंकित किये गये है जिसे भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी स्वीकार किया गया है। लेकिन पंचायत व कोरम द्वारा यह स्वीकार नही किया गया। ग्राम पंचायत को गलत अंकन को अस्वीकार करने का अधिकार है ना कि किसी व्यक्ति के वैध वारिसान के नामो के अंकन को रोकना। यहा पर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण पूर्णतः अवैध है। चूंकि प्रार्थीगण उर्मिला के विधिक वारिसान है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधिक वारिसान मे पुत्री व पुत्रियो का समान हक व अधिकार है। इस प्रकार प्रार्थीगण का उर्मिला के विधिक वारिसान होने के नाते उक्त विवादित भूमि मे हक व हिस्सा निहित है जिसे ग्राम पंचायत या अन्य किसी को भी वंचित करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अधिनियम की अवहेलना करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो अवैधानिक है। अतः प्रार्थनापत्र पृथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है।

चूंकि प्रार्थीगण उर्मिला के वारिसान हे और उर्मिला उक्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थी उसकी मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत के नामान्तरकरण मे उसके विधिक वारिसान का नाम अंकित नही करना अवैध तथा कानून की अवहेलना करना है, जिसे न्यायालय मे चुनोति दी जा सकती है। यदि उक्त नामान्तरकरण की समय रहते अपील की दी जाती तो उक्त नामान्तरकरण शून्य घोषित किया जाता। ग्राम पंचायत को मृतक के वारिसान के नाम हटाये जाने का कोई अधिकार नही है। उसके द्वारा किया गया उक्त कृत्य शून्य व अपने अधिकारो के दुरूपयोगी की श्रेणी मे आता है। लेकिन दूसरी ओर प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र नामान्तरकरण सं0 891 को भी गलत बताया है। चूंकि सीता व सम्पत उक्त भूमि मे रिकार्डेड सहखातेदार है, और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी सहखातेदार अपना हिस्सा अन्य सहखातेदार के हक मे जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र से हक त्याग कर सकता है। अतः उक्त हकत्याग का नामान्तरकण अवैध घोषित नही किया जा सकता है। लेकिन नामान्तरकरण सं0 864 द्वारा प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से से अनाधिकृत व अनुचित रूप से वंचित किया गया है। उक्त अंकन राजस्व रिकार्ड मे त्रुटिपूर्ण है और इसके पश्चात भरे गये अन्य नामान्तरकरण सं0 925 व 926 भी त्रुटिपूर्ण व अवैध है तथा प्रार्थीगण के हितो के विपरीत है उक्त नामान्तरकरणो से प्रार्थीगण का हिस्सा प्रभावित होता है। प्रतिपक्षीगण द्वारा अपने जवाब मे यह भी अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिपक्षी सं0 1 व प्रतिपक्षी सं0 4 का ही वास्तविक रूप से कब्जाकाश्त है, प्रार्थीगण का कब्जा नही है, लेकिन काश्तकारी अधिनियम के अलोक मे भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। एक रिकार्डेड सहखातेदार के वारिस होने के कारण उनके हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

अनुसार भूमि पर काश्त करने का प्रार्थीगण को पूर्ण अधिकार है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

चूंकि प्रार्थीगण महिलाए है और प्रतिपक्षीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण की भूमि मे मजाहमत किये जाने , भूमि को वाद निर्णय तक बेचान करने व रहन , दान करने से हानि प्रार्थीगण को होने की संभावना है। इससे पूर्व भी प्रतिपक्षी सं0 1 ने राजस्व रिकार्ड मे तन्हा अंकन फायदा उठाते हुए भूमि को रहन व दान कर दिया है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे जाता है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के तीनो घटक प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होने के कारण, प्रार्थीगण , प्रतिपक्षीगण को वाद निर्णय तक पावन्द कराने की अधिकारी है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः यह न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भूमि ख.न. 184, 228, 246, 285, 297, 332, 944, 950, 951, 1014 किता–10 कुल रकबा 42 बीघा 5 बिस्वा सम्पूर्ण तथा ख.न. 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 368, 369, 375, 376, 377, 379, 380, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 401, 406, 409, 410, 506, 507, 508, 370 , कुल किता–34 कुल रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा मे हिस्सा 1/11 ग्राम निमोला तहसील टोंक स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी 1 ता 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा, वाद निर्णय तक पावन्द किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जेकाश्त मे मजाहमत व मदाहखलत नही करे, भूमि का रहन, दान, बेचान नही करे। राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

Scanned by CamScanner